GCMS No. : 2023/ 220

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः– अरविन्द कुमार जाखड़

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 72/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (विकेता एवं मालिक)– श्री विनोद पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा
फर्म – मै. महालक्ष्मी आइसकीम व कुल्फी चक 04 जैड,गोविन्द नगर, तीन पुली, श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांकः 02 फरवरी, 2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कंवर पाल सिंह कार्यालय मु.चि.एवंस्वा. अधिकारी श्रीगंगानगर में दिनांक 11.03. 2023 से इस पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.12.2022 और संशोधित आदेश दिनांक 26.12.2023 के अनुसार उन्हे कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.03.2023 को सांय 03.00 बजे मैसर्स महालक्ष्मी आइसकीम व कुल्फी चक 4 जेड गोविन्द नगर, तीन पुली, श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर श्री विनोद पुत्र श्री शंकरलाल विकेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूदा था और संस्थान में स्टील ड्रम में रखी खाद्य पदार्थ **आईसकीम (लूज)** के बारे में जानकारी चाहने पर विकेता ने स्टील ड्रम में रखे 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **आईसकीम (लूज)** को आमजन के बेचान हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **आईसकीम (लूज)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फॉर्म नं. 05 ए भरकर देते हुए मौके पर फार्म सं. 05 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता, मालिक एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म 05 ए की एक प्रति

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री विनोद पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्ष अधिकारी ने आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ में से 1.200 किलोग्राम **आईसकीम (लूज)** को विकेता से खरीद किया, मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ **आईसकीम (लूज)** का नगद भुगतान 180 रुपए किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आईसकीम (लूज)** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर, प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 36 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर, चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं कमांक **के–1689** दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर किए और खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1689** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं भागीदार तथा गवाहान को पढाकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री विनोद पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्साएवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 293/एक्ट/2023/293 दिनांक 22.03.2023 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1689** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)/51 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **अमानक (सब–स्टेण्डर्ड) फूड** पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा को पृथक– पृथक समय पर बार–बार रूक–रूककर अदालतवाला के द्वारा आवाजें लगाई गई, परन्तु अप्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री विनोद पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रीम व कुल्फी चक 04जेड, गोविन्द नगर, तीन पुली श्रीगंगानगर से लिया गया **आईसक्रीम (लूज)** का सैम्पल **के–1689** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस 293/एक्ट/2023/293 दिनांक 22.03.2023 द्वारा **सब–स्टेण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ग)/51 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Ice Cream**" bearing Code No. and Sr. No. **K-1689** of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Sub-standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standard (Food Products Standard and Food Additive) Regulation, 2011.

फलस्वरूप, श्री विनोद पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रीम व कुल्फी चक 04जेड, गोविन्द नगर, तीन पुली श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ग)/51 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री विनोद पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20000/– (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।